

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46–2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2019 (21 कार्तिक, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग II अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

- अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 49 / संवि० / अनु० 309 / 2019, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 653-726
 हिरयाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019.
- अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 50 / संवि० / अनु० 309 / 2019, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 727—819
 हिरयाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 2019.
 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सिहत)

भाग IV शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

भाग - III

हरियाणा सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 नवम्बर, 2019

संख्या सा०का०नि० 49/संवि0/अनु० 309/2019 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I

सामान्य

- 1. (1) ये नियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019, कहे जा संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) ''प्रशासनिक सचिव'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, जैसी भी स्थिति हो:
- (ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति;
- (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ड) ''विभागाध्यक्ष'' से अभिप्राय है, महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा;
- (च) ''संस्था'' से अभिप्राय है.-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (छ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है.-
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (ज) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा।

भाग II सेवा में भर्ती

सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे:

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भटान की प्रजाः

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण—पत्र और दो अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु ।

5. कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या ब्यालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी।

योग्यताएं तथा अनुभव। 7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तब ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

- 3. कोई भी व्यक्ति,–
 - (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
 - (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

(1) कृषि इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत कृषि इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वाराः अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(2) वास्तुकला प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत वास्तुकला शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों / स्टुडियों सहायकों / कलाकार—एवं—फोटोग्राफरों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(3) आटोमोबाईल इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत फोरमैन प्रशिक्षकों में से की जाएगी। फोरमैन प्रशिक्षकों की अनुउपलब्धता की दशा में पद आटोमोबाईल इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(4) सेरामिक इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत सेरामिक इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(5) रसायन इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत रसायन इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(6) सिविल इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत सिविल इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(7) कम्प्यूटर इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत कम्प्यूटर इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(8) इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(9) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(10) फैशन डिजाईन प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत फैशन डिजाईन शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(11) फैशन प्रौद्योगिकी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत फैशन प्रौद्योगिकी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(12) खाद्य प्रौद्योगिकी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत खाद्य प्रौद्योगिकी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(13) इंसटरूमैंन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत इंसटरूमैंन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(14) मैकेनिकल इंजीनियरी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत फोरमैन प्रशिक्षकों में से पदोन्नित द्वारा। फोरमैन प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता की दशा में, पद मेकैनिकल इंजीनियरी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से भरा जाएगा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(15) मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(16) मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(17) प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत प्लास्टिक प्रौद्योगिकी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नित द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(18) टैक्सटाईल डिजाईन प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत टैक्सटाईल डिजाईन शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(19) टैक्सटाईल प्रौसैसिंग प्राध्यापक की दशा में.-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत टैक्सटाईल प्रौसैसिंग शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(20) टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नित द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(21) अनुप्रयुक्त विज्ञान प्राध्यापक की दशा में.-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत अनुप्रयुक्त विज्ञान प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(22) व्यापार प्रबन्ध प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्त द्वाराः

(23) वित्तीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

(24) पुस्तकालय विज्ञान प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 15 प्रतिशत पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण के कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष / प्रयोगशाला अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(25) कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

(26) फार्मेसी प्राध्यापक की दशा में,-

(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा: तथा

- (ii) 15 प्रतिशत फार्मेसी शिक्षण के वर्कशॉप अनुदेशकों / प्रयोगशाला अनुदेशकों / प्रयोगशाला सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(27) प्रोग्रामर (राजकीय बहुतकनीकी संवर्ग) की दशा में,-

- (i) 15 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 85 प्रतिशत राजकीय बहुतकनीकी संवर्ग के कनिष्ठ प्रोग्रामर में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नति के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(28) प्रोग्रामर (निदेशालय संवर्ग) की दशा में,-

- (i) निदेशालय तकनीकी शिक्षा, हरियाणा के नैटवर्क प्रशासक में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (i) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(29) उप निदेशक की दशा में-

- (i) 50 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हिरयाणा के सहायक निदेशकों / अधीक्षकों / निजी सचिव में से पदोन्नित द्वारा; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत राजकीय बहुतकनीकी संवर्ग के प्राध्यापकों में से स्थानान्तरण

(30) फोरमैन अनुदेशक की दशा में—

- (i) 15 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 85 प्रतिशत वर्कशाप अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु पदोन्नित के लिए उपरोक्त खण्ड (ii) से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(31) सहायक निदेशक की दशा में,-

- (i) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा के अधीक्षक / निजी सचिव में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(32) अधीक्षक की दशा में,-

- (i) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा के उप अधीक्षकों में से पदोन्नति
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः

(33) निजी सचिव की दशा में,-

- (i) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(34) नेटवर्क प्रशासक की दशा में.-

- (i) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में कनिष्ठ इंजीनियर (हार्डवेयर)/ कनिष्ठ प्रोग्रामर में से पदोन्नित द्वारा: या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- टिप्पण.— सीधे कोटे का पद केवल प्रत्येक संवर्ग में दी गई प्रतिशत के आनुपातिक के सम्पूर्ण आंकड़ को पूरा करने पर आबंटित किया जाएगा किन्तु भाग में नहीं। पदोन्नित कोटे के आबंटित पदों पर नियुक्तियां पहले की जाएंगी तथा उसके बाद सीधे कोटे के आबंटित पद पर भर्ती की जाएगी।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु -

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि के लिए गिनने की अनुमति दी जा सकती है, और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, किसी नियमित रिक्त पद पर पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह—
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो-
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से नियमित रिक्त पद पर पुष्ट कर सकता है; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचारण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो-
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर, उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

सेवा के सदस्यों की ज्येष्टता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग–अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगाः

परन्तू यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी-

- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी (ग) नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्टता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और
- विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्टता वेतन के (ਬ) अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर समान हो, तो उसकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयू में बड़ा सदस्य आयू में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर सेवा करने का (1) किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

दायित्व।

- सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.-
 - कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण (i) अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या चण्डीगढ प्रशासन, चण्डीगढ या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
 - कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो या गैर-सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छूटटी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें:

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबंध उन सेवा के सदस्यों को लागू नहीं होगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद में नियुक्त किए गए हैं (मृत्यु एवं सेवानिवृति उपादान और अवकाश नकदीकरण को छोडकर)।

- कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवानिवृत होता है तो अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,-
 - उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या (i)

- (ii) वास्तविक अवधि जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है: या
- (iii) पांच वर्ष की अवधि;

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है निम्नलिखित में से कोई एक है,—

- (क) जिसके लिए वैज्ञानिक / प्रौद्योगिकी या व्यवसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट रनातकोतर अनुसंधान या योग्यता या अनुभव अनिवार्य है; और
- (ख) जिस पर सामान्यत पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं: परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी—
 - (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नित द्वारा;
 - (ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृति के समय दस वर्ष या अधिक है:

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् नियुक्त हुये हैं।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति को भी लागू होगीः

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

टिप्पणः इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जायेगा।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें। **14.** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा—संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगेः

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्टा की शपथ। **16.** सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबंध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति। 20. हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवानियम, 2001, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	कृषि इंजीनियरी प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
2	वास्तुकला प्राध्यापक	20	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
3	आटोमोबाईल इंजीनियरी प्राध्यापक	15	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
4	सेरामिक इंजीनियरी प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
5	रसायन इंजीनियरी प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
6	सिविल इंजीनियरी प्राध्यापक	65	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
7	कम्प्यूटर इंजीनियरी प्राध्यापक	100	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
8	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी प्राध्यापक	65	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
9	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी प्राध्यापक	55	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
10	फैशन डिजाईन प्राध्यापक	10	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
11	फैशन प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
12	खाद्य प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
13	इंसटरूमैन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी प्राध्यापक	20	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
14	मैकेनिकल इंजीनियरी प्राध्यापक	100	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
15	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
16	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	15	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
17	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
18	टैक्सटाईल डिजाईन प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
19	टैक्सटाईल प्रौसैसिंग प्राध्यापक	10	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
20	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	10	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
21	अनुप्रयुक्त विज्ञान प्राध्यापक	108	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
22	व्यापार प्रबन्धन प्राध्यापक	25	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
23	वित्तीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्राध्यापक	15	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
24	पुस्तकालय विज्ञान प्राध्यापक	5	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
25	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन प्राध्यापक	15	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
26	फार्मेसी प्राध्यापक	14	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
27	प्रोग्रामर (राजकीय बहुंतकनीकी संवर्ग)	17	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
28	प्रोग्रामर (निदेशालय संवर्ग)	1	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
29	उप निदेशक	4	एफ.पी.एल. 9, सैल 1 ₹53100/-
30	लेखा अधिकारी	2	वित्त विभाग हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा
31	फोरमैन अनुदेशक	41	एफ.पी.एल. 7, सैल 1 ₹44900/-
32	सहायक निदेशक	1	एफ.पी.एल. 7, सैल 1 ₹44900/-
33	अधीक्षक	3	एफ.पी.एल. 7, सैल 1 ₹44900/-
34	सहायक जिला न्यायवादी	1	न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा
35	निजी सचिव	1	एफ.पी.एल. 7, सैल 1 ₹44900/-
36	नेटवर्क प्रशासक	1	एफ.पी.एल. 7, सैल 1 ₹44900/-

परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	कृषि इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कृषि इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत,	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कृषि इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में कृषि इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक/प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/
			संस्था से कृषि इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
2	वास्तुकला प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वास्तुकला में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत।	पदेान्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वास्तुकला में प्रथम श्रेणी सिहत स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में वास्तुकला शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक / स्टूडियों सहायक / कलाकार एवं फोटोग्राफर के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			 (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से वास्तुकला में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
3	आटोमोबाईल इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मकैनिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी जिसमें आटोमोबाईल इंजीनियरी का विषय हो में प्रथम श्रेणी में स्नातक सहित और आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत	पदेान्ति द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मकैनिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी जिसमें आटोमोबाईल इंजीनियरी का विषय हो में प्रथम श्रेणी में स्नातक सहित और आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्वातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या प्रयोगशाला अर्पाधे में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में आटोमोबाईल इंजीनियरी शिक्षण में फोरमैन अनुदेशक के पद पर दो वर्ष का अनुभव या प्रयोगशाला अनुदेशक / वर्कशाप अनुदेशक के पद पर (जैसी भी स्थिति हो) तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मकैनिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी जिसमें आटोमोबाईल इंजीनियरी का विषय हो में प्रथम श्रेणी में स्नातक सहित और आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या
4	सेरामिक इंजीनियरी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /	संस्कृत। पदोन्नित द्वारा
	प्राध्यापक	संस्था से सेरामिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में से प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सेरामिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में से प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में सेरामिक इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सेरामिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में से प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
5	रसायन इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से रसायन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से रसायन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में रसायन इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से रसायन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
6	सिविल इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में सिविल इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
7	कम्प्यूटर इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदेान्ति द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या फ्रांचोगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में कम्प्यूटर इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
8	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
		या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
9	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक /प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
10	फैशन डिजाईन	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /	पदोन्नति द्वारा
	प्राध्यापक	संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी / फैशन डिजाईन / वस्त्र प्रौद्योगिकी / फैशन तथा परिधान डिजाईन / परिधान इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी / फैशन डिजाईन / वस्त्र प्रौद्योगिकी / फैशन तथा परिधान डिजाईन / परिधान इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा
			(ii) राजकीय बहुतकनीकी में फैशन डिजाईन शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) अनुरूप पद पर दो वर्ष नियमित का अनुभव।
			(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी / फैशन डिजाईन/वस्त्र प्रौद्योगिकी/ फैशन तथा परिधान डिजाईन/ परिधान इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा मेंएक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
11	फैशन प्रौद्योगिकी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /	पदोन्नति द्वारा
	प्राध्यापक	संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी/फैशन डिजाईन/वस्त्र प्रौद्योगिकी/फैशन तथा	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी / फैशन

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
		परिधान डिजाईन / परिधान इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत।	डिजाईन / वस्त्र प्रौद्योगिकी / फैशन तथा परिधान डिजाईन / परिधान इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में फैशन प्रौद्योगिकी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी / फैशन डिजाईन / वस्त्र प्रौद्योगिकी / फैशन तथा परिधान डिजाईन / परिधान इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
12	खाद्य प्रौद्योगिकी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /	पदोन्नति द्वारा
	प्राध्यापक	संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नोत्तकतर उपाधि सहित खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच. डी. हो; तथा	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ सांस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसांस्करण तथा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ सांस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी/ खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/ खाद्य प्रसांस्करण तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नोत्तकतर उपाधि सहित खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
		(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में खाद्य प्रौद्योगिकी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नोत्तकतर उपाधि सहित खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
13	इंसटरूमैन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंसटरूमैन्टेशन और	पदोन्नति द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /
	प्राध्यापक	कन्ट्रोल इंजीनियरी / इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इलैक्ट्रोनिक्स / अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	संस्था से इंसटरूमैन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी / इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इलैक्ट्रोनिक्स / अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			(ii) राजकीय बहुतकनीकी में इंसटरूमैंन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंसटरूमैन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी / इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमैन्टेशन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
14	मैकेनिकल इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मैकेनिकल /उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदेान्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैकेनिकल / उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी के मैकेनिकल इंजीनियरी शिक्षण में फारमैन
			इजानियरा शिक्षण में फोरमन अनुदेशक के रूप में दो वर्ष का अनुभव या वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक (जैसी भी स्थिति हो) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैकेनिकल / उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
15	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स/ बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदेान्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स/ बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक /प्रयोगशाला अनुदेशक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स/ बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
16	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी / बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी / बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर की उपाधि सहित मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के विषय में एन. ई.टी. / पी.एच.डी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर की उपाधि सहित मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी में संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक त्या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर की उपाधि सहित मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
17	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा	पदेान्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
		के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	(ii) राजकीय बहुतकनीकी में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित रनातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् रनातक या रनातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
18	टैक्सटाईल डिजाईन प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल डिजाईन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सिंहत स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल डिजाईन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल डिजाईन शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल डिजाईन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
19	टैक्सटाईल प्रसंस्करण प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाईल प्रसंस्करण / टैक्सटाईल रसायन विज्ञान इंजिनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदेान्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रसंस्करण / टैक्सटाईल रसायन विज्ञान इंजिनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रसंस्करण शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रसंस्करण / टैक्सटाईल रसायन विज्ञान इंजिनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
20	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी प्राध्यापक	(म्रं) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (म्रं) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (म्) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (म्ह) राजकीय बहुतकनीकी में टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी शिक्षण में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव ;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (其) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (五) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (五) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
21	अनुप्रयुक्त विज्ञान प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से अनुप्रयुक्त विज्ञान या कला (भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी में से किसी एक विषय में एन.ई.टी./पी. एच.डी. हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से अनुप्रयुक्त विज्ञान या कला (भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी में से किसी एक विषय में एन.ई.टी./ पी.एच.डी. हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी के अनुप्रयुक्त विज्ञान में वर्कशाप अनुदेशक/प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव।
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से अनुप्रयुक्त विज्ञान या कला (भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी में से किसी एक विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
22	व्यापार प्रबन्धन प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से व्यापार प्रबन्धन/व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित व्यापार प्रबन्धन / व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी./ पी.एच.डी. हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से व्यापार प्रबन्धन / व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित व्यापार प्रबन्धन / व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो; तथा (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
23	वित्तीय लेखा तथा लेखा—परीक्षा प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से वाज्यि/व्यापार प्रशासन (फाईनैन्स) में प्रथम श्रीो में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित वाज्यि/व्यापार प्रशासन (फाईनैन्स) के विषय में एन.ई. टी./पी.एच.डी. हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से वािज्य/व्यापार प्रशासन (फाईनैन्स) में प्रथम श्रीी में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित वािज्य/ व्यापार प्रशासन (फाईनैन्स) के विषय में एन.ई.टी./ पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
24	पुस्तकालय विज्ञान प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपधि सहित पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो; तथा (ii) राजकीय बहुतकनीकी के पुस्तकालय विज्ञान में कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
25	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन प्राध्यापक	प्राध्यापक के लिए (80 प्रतिशत पदों के लिए): (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य/व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य/व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। के स्वापार प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन में प्राध्यापक के लिए (20 प्रतिशत पदों के लिए): (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कला/वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यताप्राप्त संस्था से प्रथम श्रेणी में कार्यालय	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्पयूटर एप्लीकेशन में प्राध्यापक के लिए (80 प्रतिशत पदों के लिए): स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य/ व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य/ व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन में प्राध्यापक के लिए (20 प्रतिशत पदों के लिए): स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/
		प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन का तीन वर्षीय डिप्लोमा, और कला/ वाणिज्य के विषय में एन.ई.टी./पी.एच. डी. हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	संस्था से कला / वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यताप्राप्त संस्था से प्रथम श्रेणी में कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन का तीन वर्षीय डिप्लोमा, और कला / वाणिज्य के

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो;
			(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
26	फार्मेसी प्राध्यापक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी सहित	पदोन्नति द्वारा
		रनातक और रनातकोत्तर उपाधि अर्थात्	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी
		स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा	सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या
		(i) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा
			(ii)# राजकीय बहुतकनीकी की फार्मेसी
			में वर्कशाप अनुदेशक / प्रयोगशाला अनुदेशक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
27	प्रोग्रामर (राजकीय	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /	पदोन्नति द्वारा
	बहुतकनीकी संवर्ग)	संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित
		में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii)# मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा
		c .	(ii) राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के कनिष्ठ प्रोग्रामर के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
28	प्रोग्रामर (निदेशालय संवर्ग)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; तथा (ii) तकनीकी शिक्षा निदेशालय में नेटवर्क प्रशासक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैद्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
29	उप निदेशक		पदोन्नित द्वारा— तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हिरयाणा में सहायक निदेशक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हिरयाणा के अधीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हिरयाणा में निजी सचिव के रूप में तीन वर्ष का अनुभव तथा सहायक के रूप में पूर्णतः या अंशतः दो वर्ष का अनुभव भी हो; स्थानान्तरण द्वारा— (i) राजकीय बहुतकनीकी के प्राध्यापकों में से (प्राध्यापक के पर परिवीक्षा अविध पूरी करने के बाद); तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
30	फोरमैन अनुदेशक	(i)# किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मकैनिकल / आटोमोबाईल / उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक हो; तथा (ii)# मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नित द्वारा राजकीय बहुतकनीकी के वर्कशाप अनुदेशक के पद पर आठ वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से मकैनिकल/ आटोमोबाईल/उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक हो; (ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
31	सहायक निदेशक		पदेान्नित द्वारा (i) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा के अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में निजी सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा सहायक के रूप में पूर्णतः या अंशतः दो वर्ष का अनुभव भी हो; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) सहायक निदेशक के पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii)# मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
32	अधीक्षक		पदोन्नित द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अधीक्षक के पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii)# मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
33	निजी सचिव		पदोन्नित द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशालय के विरष्ट वेतनमान आशुलिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) निजी सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा (ii)# मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
34	नेटवर्क प्रशासक		पदेान्नित द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशालय में कनिष्ठ इंजीनियर (कम्प्यूटर हार्डवेयर) / कनिष्ठ प्रोग्रामर के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर इंजीनियरी / कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी / सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक उपाधि हो;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
			(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का नियमित अनुभव तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

Note.-

- 1. **"अनुभव"** इसमें यथा प्रयुक्त "अनुभव" शब्द से अभिप्राय होगा, पद पर नियमित नियुक्ति के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा में की गई सेवा;
- 2. "उच्चतर योग्यता" से अभिप्राय है, किसी अध्यापन संकाय के सदस्य द्वारा या सेवा के किसी सदस्य द्वारा पद, जिस पर वह प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था, के लिए विहित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं से भिन्न अर्जित उच्चतर योग्यता, यदि उसी लाइन में कोई व्यक्ति पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से उच्चतर योग्यता सिहत पद पर प्रारम्भ में नियुक्त किया गया है, तो उस मामले में उच्चतर योग्यता से अभिप्राय है, उसी लाइन में आगामी उच्चतर योग्यता।
- 3. **"शैक्षणिक योग्यता"** इन नियमों में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, शैक्षणिक योग्यता से अभिप्राय होगा, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से अध्ययन की नियमित पद्धित के माध्यम से अर्जित स्नातक उपाधि / स्नाकोत्तर उपाधि तथा डिप्लोमा।
- 4. यदि कोई उम्मीदवार उसी लाईन में उच्चतर योग्यता रखता है जो किसी विशेष पद के लिए लागू न्यूनतम योग्यताओं में विहित है, तो उसे उस पद हेतू पात्र के रूप में समझा जाना चाहिए।

परिशिष्ट ग [देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	कृषि इंजीनियरी प्राध्यापक	सरकार	(I) लघु शास्तियां	विभागाध्यक्ष	सरकार
2	वास्तुकला प्राध्यापक		हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016		
3	आटोमोबाईल इंजीनियरी प्राध्यापक		में यथा विहित		
4	सेरामिक इंजीनियरी प्राध्यापक				
5	रसायन इंजीनियरी प्राध्यापक		(II) बड़ी शास्तियां	सरकार	सरकार
6	सिविल इंजीनियरी प्राध्यापक		हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016		
7	कम्पयूटर इंजीनियरी प्राध्यापक		में यथा विहित		
8	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी प्राध्यापक				
9	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी प्राध्यापक				
10	फैशन डिजाईन प्राध्यापक				
11	फैशन प्रौद्योगिकी प्राध्यापक				
12	खाद्य प्रौद्योगिकी प्राध्यापक				
13	इंसटरूमैन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी प्राध्यापक				
14	मैकेनिकल इंजीनियरी प्राध्यापक				
15	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स प्राध्यापक				
16	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्राध्यापक				
17	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्राध्यापक				
18	टैक्सटाईल डिजाईन प्राध्यापक				
19	टैक्सटाईल प्रौसैसिंग प्राध्यापक				
20	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी प्राध्यापक				
21	अनुप्रयुक्त विज्ञान प्राध्यापक				
22	व्यापार प्रबन्धन प्राध्यापक				
23	वित्तीय लेखा तथा लेखा—परीक्षा प्राध्यापक				

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
24	पुस्तकालय विज्ञान प्राध्यापक				
25	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन प्राध्यापक				
26	फार्मेसी प्राध्यापक				
27	प्रोग्रामर (सरकारी बहुतकनीकी संवर्ग)				
28	प्रोग्रामर (निदेशालय संवर्ग)				
29	फोरमैन अनुदेशक				
30	उप निदेशक				
31	सहायक निदेशक				
32	अधीक्षक				
33	निजी सचिव				
34	नेटवर्क प्रशासक				

परिशिष्ट घ [देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	कृषि इंजीनियरी प्राध्यापक	(i) पेंशन को शासित करने वाले	सरकार	सरकार
2	वास्तुकला प्राध्यापक	नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन		
3	आटोमोबाईल इंजीनियरी प्राध्यापक	की राशि में कमी करना या रोकना;		
4	सेरामिक इंजीनियरी प्राध्यापक	(ii) सेवा के सदस्यों को उसकी		
5	रसायन इंजीनियरी प्राध्यापक	अधिवर्षिता के लिए नियत आयु का होने से अन्यथा		
6	सिविल इंजीनियरी प्राध्यापक	नियुक्ति की समाप्ति।		
7	कम्पयूटर इंजीनियरी प्राध्यापक			
8	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी प्राध्यापक			
9	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी प्राध्यापक			
10	फैशन डिजाईन प्राध्यापक			
11	फैशन प्रौद्योगिकी प्राध्यापक			
12	खाद्य प्रौद्योगिकी प्राध्यापक			
13	इंसटरूमैन्टेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी प्राध्यापक			
14	मैकेनिकल इंजीनियरी प्राध्यापक			
15	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स प्राध्यापक			
16	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्राध्यापक			
17	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्राध्यापक			
18	टैक्सटाईल डिजाईन प्राध्यापक			
19	टैक्सटाईल प्रौसैसिंग प्राध्यापक			
20	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी प्राध्यापक			
21	अनुप्रयुक्त विज्ञान प्राध्यापक			
22	व्यापार प्रबन्धन प्राध्यापक			
23	वित्तीय लेखा तथा लेखा—परीक्षा प्राध्यापक			

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
24	पुस्तकालय विज्ञान प्राध्यापक			
25	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन प्राध्यापक			
26	फार्मेसी प्राध्यापक			
27	प्रोग्रामर (राजकीय बहुतकनीकी संवर्ग)			
28	प्रोग्रामर (निदेशालय संवर्ग)			
29	फोरमैन अनुदेशक			
30	उप निदेशक			
31	सहायक निदेशक			
32	अधीक्षक			
33	निजी सचिव			
34	नेटवर्क प्रशासक			

अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 12th November, 2019

No. GSR. 49/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed to the Haryana Technical Education Department (**Group B**) Service, namely:-

PART-1

GENERAL

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Technical Education Department (Group B) Short title. Service Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 2. In these rules, unless the context otherwise requires:-

Definitions.

- (a) "Administrative Secretary" means Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government of Haryana, Technical Education Department, as the case may be;
- (b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
- (c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;
- (d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- (e) "Head of Department" means the Director General, Technical Education Department, Haryana;
- (f) "institution" means;-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (g) "recognized university" means,-
 - (i) any University incorporated by law in India; or
 - (ii) any other University which is declared by the Government to be a recognized University for the purpose of these rules;
- (h) "Service" means the Haryana Technical Education Department (Group B) Service.

PART-II

RECRUITMENT TO SERVICE

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay.

Number and Character of posts.

- 4. (1) No person shall be appointed to the service, unless he is :-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service. Provided that a person belonging the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointing Authority. Qualifications and experience.

Age.

- **6.** Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.
- 7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by direct recruitment.

Provided that in case of direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the commission or any other recruiting authority in case of sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Class, Ex-Serviceman and Physically Handicapped Candidates possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

- 8. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made:-

(1) In the case of Lecturer in Agriculture Engineering:-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Agriculture Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(2) In the case of Lecturer in Architecture,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors/ Studio Assistants/ Artist-cum-Photographers of Architecture discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

(3) In the case of Lecturer in Automobile Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst the Foreman Instructors. In case eligible Foreman Instructors are not available, the post will be filled up from amongst the Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Automobile Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(4) In the case of Lecturer in Ceramic Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Ceramic Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(5) In the case of Lecturer in Chemical Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Chemical Engineering; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(6) In the case of Lecturer in Civil Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Civil Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(7) In the case of Lecturer in Computer Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Computer Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(8) In the case of Lecturer in Electronics and Communication Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Electronics & Communication Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

(9) In the case of Lecturer in Electrical Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Electrical Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(10) In the case of Lecturer in Fashion Design,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Fashion Design discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(11) In the case of Lecturer in Fashion Technology,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Fashion Technology discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(12) In the case of Lecturer in Food Technology,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Food Technology discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(13) In the case of Lecturer in Instrumentation and Control Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Instrumentation and Control Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(14) In the case of Lecturer in Mechanical Engineering,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst the Foreman Instructors. In case eligible Foreman Instructors are not available, the post will be filled up from amongst the Workshop Instructors/Laboratory Instructors of Mechanical Engineering discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

(15) In the case of Lecturer in Medical Electronics,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Medical Electronics discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(16) In the case of Lecturer in Medical Laboratory Technology,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Medical Laboratory Technology discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(17) In the case of Lecturer in Plastic Technology,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Plastic Technology discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(18) In the case of Lecturer in Textile Design,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Textile Design discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(19) In the case of Lecturer in Textile Processing,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Textile Processing discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(20) In the case of Lecturer in Textile Technology,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors of Textile Technology discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

(21) In the case of Lecturer in Applied Sciences,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Laboratory Instructors of Applied Sciences; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(22) In the case of Lecturer in Business Management,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(23) In the case of Lecturer in Finance Accounts and Audit:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(24) In the case of Lecturer in Library Science,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst the Junior Librarians/ Laboratory Instructors of Library Science discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(25) In the case of Lecturer in Office Management and Computer Application,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(26) In the case of Lecturer in Pharmacy,-

- (i) 85% by direct recruitment; and
- (ii) 15% by promotion from amongst Workshop Instructors/ Laboratory Instructors/ Laboratory Assistant of Pharmacy discipline; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(27) In the case of Programmer (Government Polytechnic Cadre),-

- (i) 15% by direct recruitment; and
- (ii) 85% by promotion from amongst the Junior Programmers of the Government Polytechnic Cadre; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

(28) In the case of Programmer (Directorate Cadre),-

- (i) by promotion from amongst the Network Administrator of the Directorate of Technical Education, Haryana; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(29) In the case of Deputy Director,-

- (i) 50% by promotion from amongst the Assistant Directors/ Superintendents/Private Secretary of the Directorate of Technical Education, Haryana; or
- (ii) 50% by transfer from amongst the Lecturers of the Government Polytechnics Cadre.

(30) In the case of Foreman Instructor,-

- (i) 15% by direct recruitment; and
- (ii) 85% by promotion from amongst the Workshop Instructors; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case eligible candidates are not available from clause (ii), the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(31) In the case of Assistant Director,-

- by promotion from amongst Superintendents/Private Secretary of the Directorate of Technical Education, Haryana; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(32) In the case of Superintendent,-

- (i) by promotion from amongst the Deputy Superintendents of the Directorate of Technical Education, Haryana; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(33) In the case of Private Secretary,-

- by promotion from amongst Senior Scale Stenographers of the Directorate of Technical Education, Haryana; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(34) In the case of Network Administrator,-

- (i) by promotion from amongst the Junior Engineer (Hardware)/ Junior Programmer of the Directorate of Technical Education, Haryana; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
- (2) All promotions, unless otherwise specified, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

NOTE: The post to direct quota shall only be allocated only on completion of complete figure in proportionate in percentage given in each cadre, but not in fraction. The appointments to the posts allocated to promotion quota shall be made first and thereafter the recruitment to the post allocated to direct quota shall be made.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise.

Provided that:-

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who had so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment:-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment, against regular vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority

11. Seniority, *inter-se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Services, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, than by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to Serve.

- (2) A member of Service may also be deputed to service as under,-
 - (i) a company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, Municipal Corporation or local authority or university within the State of Haryana; or
 - (ii) the Central Government or Chandigarh Administration, Chandigarh or company or association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) another State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and by such rules regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority of India under the Constitution of India or under any law for time being in force made by the State Legislative:

Pay, leave, pension and other matters.

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after 1st January, 2006 (except death-cumretirement gratuity and leave encashment).

- (2) A Government employee who retires from Service or post shall be eligible add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension),
 - (i) the actual period not extending one-fourth of the length of his service; or
 - (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty five years; or
 - (iii) a period of five years

whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one-

- (a) for which the post-graduate research for specialist qualification, or experience in scientific/technological or professional fields is essential; and
- (b) to which the candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee—

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion;
- (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement;

Provided that the provisions of sub-rule(2) shall not be applicable to those member of service who appointed on or after the 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department.

Provided that the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note: The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department consultation with the Finance Department.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters, relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of employees.

Special Provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or and other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time.

Repeal and savings.

20. The Haryana Technical Education Department (Group B) Service Rules, 2001 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(see rule 3)

Serial Number	Designation of the post	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	Lecturer in Agriculture Engineering	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
2.	Lecturer in Architecture	20	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
3.	Lecturer in Automobile Engineering	15	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
4.	Lecturer in Ceramic Engineering	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
5.	Lecturer in Chemical Engineering	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
6.	Lecturer in Civil Engineering	65	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
7.	Lecturer in Computer Engineering	100	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
8.	Lecturer in Electronics and Communication Engineering	65	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
9.	Lecturer in Electrical Engineering	55	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
10.	Lecturer in Fashion Design	10	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
11.	Lecturer in Fashion Technology	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
12.	Lecturer in Food Technology	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
13.	Lecturer in Instrumentation and Control Engineering	20	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
14.	Lecturer in Mechanical Engineering	100	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
15.	Lecturer in Medical Electronics	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
16.	Lecturer in Medical Laboratory Technology	15	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
17.	Lecturer in Plastic Technology	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
18.	Lecturer in Textile Design	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
19.	Lecturer in Textile Processing	10	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
20.	Lecturer in Textile Technology	10	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
21.	Lecturer in Applied Sciences	108	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
22.	Lecturer in Business Management	25	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
23.	Lecturer in Finance Accounts and Audit	15	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
24.	Lecturer in Library Science	5	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
25.	Lecturer in Office Management & Computer Application	15	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
26.	Lecturer in Pharmacy	14	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
27.	Programmer (Government Polytechnic Cadre)	17	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
28.	Programmer (Directorate Cadre)	1	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
29.	Deputy Director	4	F.P.L. 9, cell 1 ₹53100/-
30.	Account Officer	2	By transfer from Finance Department, Haryana
31.	Foreman Instructor	41	F.P.L. 7, cell 1 ₹44900/-
32.	Assistant Director	1	F.P.L. 7, cell 1 ₹44900/
33.	Superintendent	3	F.P.L. 7, cell 1 ₹44900/
34.	Assistant District Attorney	1	By transfer from Administration of Justice Department, Haryana,
35.	Private Secretary	1	F.P.L. 7,cell 1 ₹44900/
36.	Network Administrator	1	F.P.L. 7,cell 1 ₹44900/

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Lecturer in Agriculture Engineering	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Agriculture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution. (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Agriculture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience as Workshop Instructors/Laboratory Instructor in the Agriculture Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Agriculture with First Class either in Bachelors or Masters degree, from a recognized university/institution. (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher
2.	Lecturer in Architecture	 (i) Bachelors and Masters degree in Architecture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. 	By Promotion- (i) Bachelors and Masters degree in Architecture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor/ Studio Assistant/Artist-cum- Photographer in the Architecture discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters degree in Architecture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			 (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
3.	Lecturer in Automobile Engineering	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution. OR Bachelors of Engineering or Technology degree in Mechanical with Automobile Engineering as one of the subject and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree, from a recognized university / institution; OR Bachelors of Engineering or Technology degree in Mechanical with Automobile Engineering as one of the subject and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Two years experience on the post of Foreman Instructor or three years experience on the post of Workshop Instructor/ Laboratory Instructor (as the case may be), in the Automobile Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution; OR Bachelors of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution; OR Bachelors of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution; OR

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized University/institute from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
4.	Lecturer in Ceramic Engineering	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Ceramic with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; and (ii) Hindi or Sanskrit/ as one of the Subject in Matric or Higher Education	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Ceramic with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Ceramic Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Ceramic with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
5.	Lecturer in Chemical Engineering	 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Chemical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education 	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Chemical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			 (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Chemical Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Chemical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
6.	Lecturer in	(i) Bachelors and Masters of	By Promotion-
	Civil Engineering	Engineering or Technology degree in Civil with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Civil with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and
		Subject in Matric or Higher Education	(ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Civil Engineering discipline of Government Polytechnics.
			By Transfer or deputation-
			(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Civil with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;
			(ii) Holding analogous post with two years regular experience; and
			(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
7.	Lecturer in Computer Engineering	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Computer Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education
8.	Lecturer in Electronics and Communication Engineering	 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electronics and Communication Engineering or Electronics Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education 	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electronics and Communication Engineering or Electronics Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/Laboratory Instructor in the Electronics and Communication Engineering discipline of Government Polytechnics.

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
9.	Lecturer in	(i) Bachelors and Masters of	By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electronics and Communication Engineering or Electronics Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. By Promotion:
9.	Electurer in Electrical Engineering	Engineering or Technology degree in Electrical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electrical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Electrical Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electrical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a
			recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education
10.	Lecturer in Fashion Design	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/Apparel	By Promotion: (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
		Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	Technology/ Fashion and Apparel Design/ Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree, from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the
			Fashion Design discipline of Government Polytechnics.
			By Transfer or deputation-
			(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree, from a recognized university/institution;
			(ii) Holding analogous post with two years regular experience; and
			(iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
11.	Lecturer in	(i) Bachelors and Masters of	By Promotion-
	Fashion Technology	Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/ Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Fashion Technology discipline
			of Government Polytechnics.
			By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of
			(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/

Serial Number	Designation post	of	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2		3	4
				Fashion Design/ Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/ Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
12.	Lecturer Food Technology	in	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; OR First Class Master of Science Degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with NET/Ph.D in the subject of Food Technology/ Food Processing and Technology Food Processing and Technology from a recognized university/ institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Food Technology/Food Science and Technology/Food Processing and Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; OR First Class Master of Science Degree in Food Technology/Food Processing and Technology/Food Processing and Technology with NET/Ph.D in the subject of Food Technology/Food Science and Technology/Food Processing and Technology/Food Processing and Technology/Food Processing and Technology from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/Laboratory Instructor in the Food Technology discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology/Food Science and Technology/Food Processing and

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
13.	Lecturer in Instrumentation and Control Engineering		university/institution; OR First Class Master of Science Degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with NET/Ph.D in the subject of Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology from a recognized university / institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation and Control Engineering /Electronics and Instrumentation Electronics / Applied Electronics and Instrumentation Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Instrumentation and Control Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation Electronics/Applied Electronics and Instrumentation Engineering /Electronics and Instrumentation Electronics/Applied Electronics and Instrumentation Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;

Serial Number	Designation post	of	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2		3	4
				 (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
14.	Lecturer Mechanical Engineering		 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Mechanical /Production with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. 	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Mechanical / Production with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; and (ii) Two years experience on the post of Foreman Instructor or three years experience on the post of Workshop Instructor/ Laboratory Instructor (as the case may be), in the Mechanical Engineering discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Mechanical /Production with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience;
				and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
15.	Lecturer Medical Electronics		 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics / Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. 	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics/ Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the

Serial Number	Designation post	of	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2		3	4
				Medical Electronics discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics / Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
16.	Lecturer Medical Laboratory Technology	in	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Laboratory Technology/Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; OR First Class Master of Science Degree in Medical Laboratory Technology with NET/Ph.D in the subject of Medical Laboratory Technology from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	By Promotion: (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Laboratory Technology/ Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; OR First Class Master of Science Degree in Medical Laboratory Technology with NET/Ph.D in the subject of Medical Laboratory Technology from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Medical Laboratory Technology discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Laboratory Technology Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			university/institution; OR First Class Master of Science Degree in Medical Laboratory Technology with NET/Ph.D in the subject of Medical Laboratory Technology from a recognized university/ institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher
17.	Lecturer in Plastic Technology	 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Plastic Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. 	Education. By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Plastic Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor in the Plastic Technology discipline of Government Polytechnics.
			By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Plastic Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university /institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
18.	Lecturer in Textile Design	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Design with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and	By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Design with First Class either in Bachelors or Masters degree from a

Education. Education. 19. Lecturer in (i) Bachelors and Management (ii) Bachelors and Management (iii) Bachelors and Management (iii) Bachelors (iiii) Bachelors (iiiii) Bachelors (iiii) Bachelors (iiii) Bachelors (iiiii) Bach	or Higher institution; and (ii) Three years experience on to post of Workshop Instructor Laboratory Instructor in to Textile Design discipline Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors and Masters Engineering or Technolo degree in Textile Design with First Class either in Bachelors Masters degree from recognized university/institution;
Subject in Matric of Education. Subject in Matric of Education.	or Higher institution; and (ii) Three years experience on to post of Workshop Instructor Laboratory Instructor in to Textile Design discipline Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors and Masters Engineering or Technolo degree in Textile Design with First Class either in Bachelors Masters degree from recognized university/institution;
	By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters Engineering or Technolo degree in Textile Design was First Class either in Bachelors Masters degree from recognized university/institution;
	(i) Bachelors and Masters Engineering or Technolo degree in Textile Design was First Class either in Bachelors Masters degree from recognized university/institution;
	(ii) Holding and access as at a
	(ii) Holding analogous post we two years regular experience and
	(iii) Hindi or Sanskrit as one of t Subject in Matric or High Education.
	fasters of By Promotion:
and (ii) Hindi or Sanskrit as o	Textile lass either in egree from a cy/institution; Textile Engineering or Technolo degree in Textile Processir Textile Chemistry, with Fi Class either in Bachelors Masters degree from
	(i) Bachelors and Masters
	Engineering or Technolo degree in Textile Processir Textile Chemistry, with Fi Class either in Bachelors Masters degree from recognized university institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience and

Serial Number	Designation post	of	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2		3	4
				(iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
20.	Lecturer Textile Technology	in	 (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. 	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/Laboratory Instructor in the Textile Technology discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
21.	Lecturer	in		By Promotion-
	Applied Sciences		(Physics/ Chemistry/ Math)/ Arts (English) Degree with NET/ Ph.D, in relevant Subject of Applied Sciences (Physics, Chemistry, Math, English) from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	 (i) First Class Master of Science (Physics/ Chemistry/ Math)/ Arts (English) Degree with NET/ Ph.D, in relevant Subject of Applied Sciences (Physics, Chemistry, Math, English) from a recognized university / institution; and (ii) Three years experience on the post of Laboratory Instructor of Applied Sciences of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) First Class Master of Science (Physics/ Chemistry/ Math)/ Arts (English) Degree with

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			of Applied Sciences (Physics, Chemistry, Math, English) from a recognized university / institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
22.	Lecturers in Business Management	 (i) First Class Masters Degree in Business Management/ Business Administration, with NET/ Ph.D in the subject of Business Management /Business Administration from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. 	By Transfer or deputation- (i) First Class Masters Degree in Business Management/ Business Administration, with NET/ Ph.D in the subject of Business Management / Business Administration from a recognized university / institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
23.	Lecturer in Finance Accounts and Auditing	 (i) First Class Masters Degree in Commerce / Business Administration (Finance), with NET/Ph.D in the subject of Commerce/Business Administration (Finance) from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. 	By Transfer or deputation- (i) First Class Masters Degree in Commerce / Business Administration (Finance), with NET/ Ph.D in the subject of Commerce / Business Administration (Finance) from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
24.	Lecturers in Library Science	(i) First Class Masters Degree in Library Science/ Library and Information Science, with NET/ Ph.D in the subject of Library Science/ Library and Information Science from a recognized university / institution; and	By Promotion- (i) First Class Masters Degree in Library Science/ Library and Information Science, with NET/ Ph.D in the subject of Library Science/ Library and Information Science from a

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
		(ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	recognized university /institution; and (ii) Three years experience on the post of Junior Librarian/ Laboratory instructor in Library Science discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation-
			(i) First Class Masters Degree in Library Science/ Library & Information Science, with NET/ Ph.D in the subject of Library Science/ Library and Information Science from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
25.	Lecturer in Office Management and Computer Application	Commerce/ Business Management or Business Administration, with NET/ Ph.D in the subject of Commerce/ Business Management or Business Administration from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher	For Lecturer in Office Management and Computer Application (for 80 % posts): By Transfer or deputation- (i) First Class Masters Degree in Commerce/ Business Management or Business Administration, with NET/Ph.D in the subject of Commerce/Business Management or Business Administration from a recognized university/institution;
		Education For Lecturer in Office Management and Computer Application (for 20 % posts): (i) First Class Master of Arts/ Commerce with NET/Ph.D in the subject of Arts/ Commerce from a recognized university/institution; and 1st class three years Diploma in Office Management and Computer Application from Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and	 (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. For Lecturer in Office Management and Computer Application (for 20 % posts): By Transfer or deputation- (i) First Class Master of Arts/Commerce with NET/Ph.D in the subject of Arts/Commerce

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
		(ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	from a recognized university/institution; and 1st class three years Diploma in Office Management and Computer Application from Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education. (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and
			(iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
26.	Lecturer in	(i) Bachelors and Masters Degree in	By Promotion-
	Pharmacy	Pharmacy with First Class either in Bachelors or Masters Degree, from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	 (i) Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class either in Bachelors or Masters Degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience on the post of Workshop Instructors/ Laboratory Instructor/ Laboratory Assistant in Pharmacy discipline of Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class either in Bachelors or Masters Degree, from a recognized university/institution;
			(ii) Holding analogous post with two years regular experience; and
			(iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.
27.	Programmer	(i) Bachelors and Masters of	By Promotion:
	(Government Polytechnic cadre)	Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience as Junior Programmer of

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
28.	Programmer (Directorate office cadre)	(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education.	Government Polytechnics. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution. (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. By Promotion- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree, from a recognized university/institution; and (ii) Three years experience as Network Administrator in the Directorate of Technical Education, Haryana. By Transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science & Engineering or Masters degree from a recognized university/institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education
29.	Deputy Director	-	By Promotion- One year experience as Assistant Director in the Directorate of Technical

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
30	Foreman Instructor	(i) Bachelors of Engineering or Technology degree in Mechanical/ Automobile/ Production with First Class from a recognized university/ institution; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher	Education, Haryana; OR Three years experience as Superintendent in the Directorate of Technical Education, Haryana; OR Three years experience as Private Secretary having two years wholly or partially experience as Assistant, in the Directorate of Technical Education Haryana. By Transfer - (1) From Lecturers of Government Polytechnics (After completion of probation period on the post of Lecturer); and (2) Hindi or Sanskrit as one of the Subject in Matric or Higher Education. By Promotion— Eight years experience as Workshop Instructor of Government Polytechnics. By Transfer or deputation— (i) Bachelors of Engineering or Technology degree in
		Education.	Mechanical / Automobile/ Production with First Class from a recognized university / institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
31.	Assistant Director		By Promotion- (i) Two years experience as Superintendent in the Directorate of Technical Education, Haryana; OR Two years experience as Private Secretary having two years wholly or partially experience as

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			Assistant in the Directorate of Technical Education, Haryana. By Transfer or deputation- (i) Two years experience on the post of Assistant Director (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
32.	Superintendent		By Promotion: Two years experience as Deputy Superintendent in the Directorate of Technical Education, Haryana By Transfer or deputation- (i) Two years experience as Superintendent; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
33.	Private Secretary		By Promotion: Eight years experience as Senior Scale Stenographer in the Directorate of Technical Education, Haryana. By Transfer or deputation— (i) Two year experience on the post of Private Secretary; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
34.	Network Administrator		By Promotion- Eight years experience as Junior Engineer (Computer Hardware)/ Junior Programmer in the Directorate of Technical Education, Haryana. By Transfer or deputation- (i) Bachelor's of Engineering or Technology degree in Computer Engineering/ Computer Science and Engineering/ Information Technology with First Class from a recognized university/ institution; (ii) Holding analogous post with two years regular experience; and

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
			(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

Note:

- **1. "Experience"** The term 'Experience' for the purpose of promotion as used herein shall mean the service rendered in the Department of Technical Education, Haryana after regular appointment on the post.
- 2. "Higher qualification" means the qualification acquired by any of teaching faculty member or by any member of service, higher than that of the essential minimum academic qualifications prescribed for the post, against which he was appointed initially, in the same line. If, a person appointed initially on the post with qualification higher than essential minimum academic qualification for the post, higher qualification in this case means next higher qualification in the same line.
- **3. "Academic Qualification"** Academic qualification, unless otherwise specifically provided in these rules, shall means a UG/PG Degree acquired through regular mode of study from a recognized university/institution.
- **4.** A candidate possesses higher qualification in the same line as prescribed in the minimum academic qualifications applicable to a particular post then he should be considered as eligible of that post.

APPENDIX C

[see rule 14 (1)]

Serial Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1	Lecturer in Agriculture Engineering	Government	(I) Minor Penalties—	Head of Department	Government
2	Lecturer in Architecture		As prescribed in the		
3	Lecturer in Automobile Engineering		Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.		
4	Lecturer in Ceramic Engineering		(II) Major Penalties—	Government	Government
5	Lecturer in Chemical Engineering		As prescribed in the Haryana Civil Services		
6	Lecturer in Civil Engineering		(Punishment and Appeal) Rules, 2016.		
7	Lecturer in Computer Engineering				
8	Lecturer in Electronics and Communication Engineering				
9	Lecturer in Electrical Engineering				
10	Lecturer in Fashion Design				
11	Lecturer in Fashion Technology				
12	Lecturer in Food Technology				
13	Lecturer in Instrumentation and Control Engineering				
14	Lecturer in Mechanical Engineering				
15	Lecturer in Medical Electronics				
16	Lecturer in Medical Laboratory Technology				
17	Lecturer in Plastic Technology				
18	Lecturer in Textile Design				
19	Lecturer in Textile Processing				
20	Lecturer in Textile Technology				

Serial Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
21	Lecturer in Applied Sciences				
22	Lecturer in Business Management				
23	Lecturer in Finance Accounts and Audit				
24	Lecturer in Library Science				
25	Lecturer in Office Management and Computer Application				
26	Lecturer in Pharmacy				
27	Programmer (Government Polytechnic Cadre)				
28	Programmer (Directorate Cadre)				
29	Deputy Director				
30	Foreman Instructor				
31	Assistant Director				
32	Superintendent				
33	Private Secretary				
34	Network Administrator				

APPENDIX-D

[see rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Natu	re of order	Authority empowered to make order	Appellate Authority
1	2		3	4	5
1.	Lecturer in Agriculture Engineering	(i)	Reducing or with-	Government	Government
2.	Lecturer in Architecture		holding the amount of ordinary /		
3.	Lecturer in Automobile Engineering		additional pension admissible under		
4.	Lecturer in Ceramic Engineering		the rules governing pension;		
5.	Lecturer in Chemical Engineering	(ii)	Terminating the		
6.	Lecturer in Civil Engineering		appointment of a member of the		
7.	Lecturer in Computer Engineering		Service otherwise than on his attaining		
8.	Lecturer in Electronics and Communication Engineering		the age fixed for superannuation.		
9.	Lecturer in Electrical Engineering				
10.	Lecturer in Fashion Design				
11.	Lecturer in Fashion Technology				
12.	Lecturer in Food Technology				
13.	Lecturer in Instrumentation and Control Engineering				
14.	Lecturer in Mechanical Engineering				
15.	Lecturer in Medical Electronics				
16.	Lecturer in Medical Laboratory Technology				
17.	Lecturer in Plastic Technology				
18.	Lecturer in Textile Design				
19.	Lecturer in Textile Processing				
20.	Lecturer in Textile Technology				
21.	Lecturer in Applied Sciences				
22.	Lecturer in Business Management				
23.	Lecturer in Finance Accounts and Audit				
24.	Lecturer in Library Science				
25.	Lecturer in Office Management and Computer Application				

26.	Lecturer in Pharmacy
27.	Programmer (Government Polytechnic Cadre)
28.	Programmer (Directorate Cadre)
29.	Deputy Director
30.	Foreman Instructor
31.	Assistant Director
32.	Superintendent
33.	Private Secretary
34.	Network Administrator

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Technical Education Department.

57441—C.S.—H.G.P., Chd.